9

ग्रामीण आजीविका, रोजगार और प्रवासन

डॉ. कंचन श्रीवास्तव

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.108-120

ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सदियों से कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प की त्रिआयामी संरचना पर आधारित रही है। आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण के साथ इस पारंपरिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर ग्रामीण प्रवासन की समस्या उत्पन्न हुई है। यह अध्ययन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्रोतों, रोजगार सृजन की सरकारी योजनाओं और प्रवासन के स्वरूप तथा प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अनुसंधान में गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग करते हुए द्वितीयक डेटा के आधार पर विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि पारंपरिक आजीविका के साधनों से पर्याप्त आय न मिलना, कृषि संकट और क्षेत्रीय असमानता प्रवासन के मुख्य कारक हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। झारखंड और बिहार के केस स्टडी विश्लेषण से पता चलता है कि महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों की पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अध्ययन एकीकृत आजीविका रणनीति, रोजगार सूचकांक के विकास और प्रवासियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण आजीविका, प्रवासन, रोजगार सृजन, कृषि संकट, सरकारी योजनाएं

प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सदियों से एक त्रिआयामी संरचना पर आधारित रही है जिसमें कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प मुख्य स्तंभ रहे हैं। यह पारंपरिक आजीविका व्यवस्था न केवल आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी संजोए

रखती थी। कृषि ग्रामीण जीवन की आधारशिला रही है। भारत के अधिकांश गाँवों में खेती-बाड़ी मुख्य व्यवसाय था जो न केवल भोजन की आवश्यकता पूरी करता था बल्कि स्थानीय बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन भी प्रदान करता था। मौसमी फसलों के साथ-साथ सब्जियों और फलों की खेती परिवारों को वर्षभर आय का साधन मुहैया कराती थी। कृषि व्यवस्था पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थी और पारंपरिक ज्ञान एवं तकनीकों का उपयोग करती थी। पशुपालन कृषि के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और अन्य पशुओं का पालन न केवल दूध, मांस और अंडों की आपूर्ति करता था बल्कि कृषि कार्यों में भी सहायक होता था। पशुओं से प्राप्त गोबर खाद का काम करता था और ईंधन के रूप में भी उपयोग होता था। यह व्यवस्था स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती थी। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तीसरा मुख्य घटक था। कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, धातु का काम, और अन्य पारंपरिक शिल्प न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे बल्कि दूर-दराज के बाजारों में भी बेचे जाते थे। यह कौशल आधारित व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे और सामुदायिक एकता को मजबूत बनाते रहे।

आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। यंत्रीकरण ने मानव श्रम की आवश्यकता को कम कर दिया है जिससे पारंपरिक रोजगार के अवसर घटे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन और मशीनीकरण ने स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों को गंभीर चुनौती दी है। फैक्टरी में बने सामान की उपलब्धता और कम कीमत के कारण पारंपरिक कारीगरों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी मशीनीकरण के साथ-साथ भूमि के टुकड़े होते जाने से छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, और बढ़ती उत्पादन लागत ने कृषि को एक जोखिम भरा व्यवसाय बना दिया है। इसके अतिरिक्त, बाजार में उचित मूल्य न मिलना और बिचौलियों का शोषण किसानों की समस्याओं को और भी बढ़ा देता है।

गरीबी ग्रामीण प्रवासन का सबसे प्रमुख कारण है। पारंपरिक आजीविका के साधनों से पर्याप्त आय न मिलना और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थता लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने पर मजबूर करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में भी लोग गाँव छोड़ने को विवश होते हैं। कृषि संकट ने प्रवासन को और भी तेज कर दिया है। फसल की बर्बादी, प्राकृतिक आपदाएं, कर्ज का बोझ और अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था के कारण किसान अपनी भूमि छोड़ने को मजबूर हैं। छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि उनके पास वैकल्पिक आय के साधन सीमित होते हैं। क्षेत्रीय असमानता भी प्रवासन का एक महत्वपूर्ण कारक है। विकसित राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों के बीच आर्थिक अवसरों की विषमता लोगों को बेहतर अवसरों की तलाश में विस्थापित होने पर मजबूर करती है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर वेतन, आधुनिक सुविधाएं और जीवनयापन के अधिक अवसर ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करते हैं। इस

प्रकार, ग्रामीण आजीविका की पारंपरिक संरचना में आए बदलाव और आर्थिक संकट ने व्यापक पैमाने पर प्रवासन को जन्म दिया है जो भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है।

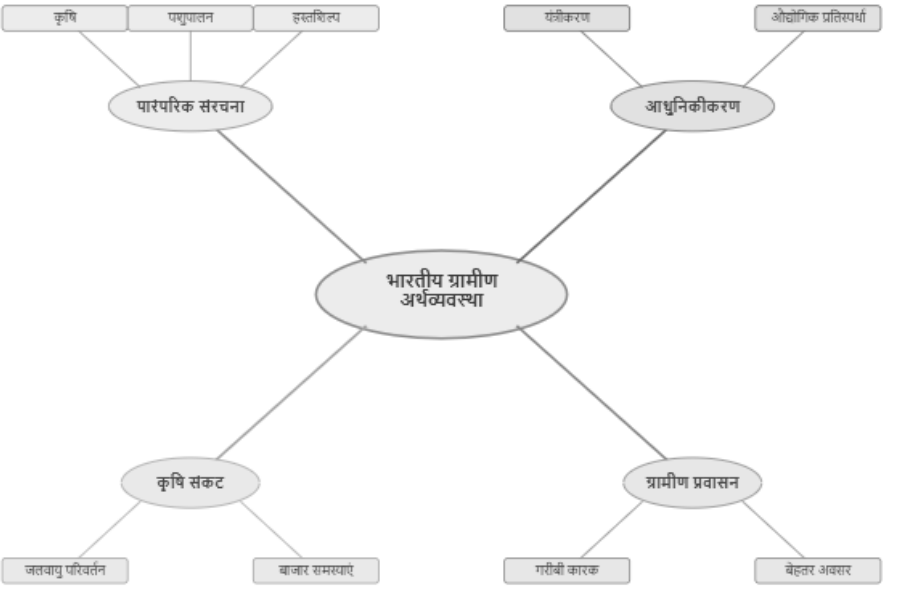

चित्र 9.1: भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था

शोध विधि

यह अध्ययन गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अनुसंधान में मुख्यतः द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है जिसमें सरकारी रिपोर्ट्स, नीति दस्तावेज, शैक्षणिक पत्रिकाओं के लेख और सांख्यिकीय डेटा शामिल हैं। डेटा संग्रह के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया:

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट्स
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दस्तावेज
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के डेटा
- राज्य सरकारों की नीति रिपोर्ट्स
- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के लेख

विश्लेषण की पद्धति में तुलनात्मक अध्ययन और केस स्टडी विश्लेषण शामिल है। झारखंड और बिहार राज्यों को केस स्टडी के रूप में चुना गया है क्योंकि ये राज्य प्रवासन के मुख्य स्रोत क्षेत्र हैं।

आजीविका के प्रमुख स्रोत और उनका परिवर्तन

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से कृषि पर आधारित रही है, परंतु वर्तमान समय में इस एकल निर्भरता की अनेक सीमाएँ स्पष्ट हो रही हैं। सबसे प्रमुख चुनौती कृषि भूमि का लगातार घटता आकार है, जो बढ़ती जनसंख्या और भूमि के विभाजन के कारण हो रहा है। छोटे और सीमांत किसान, जो कुल कृषकों का 86% हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम की मार और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में अनिश्चितता बढ़ रही है। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त, फसलों की उचित मूल्य न मिलना, मध्यस्थों का शोषण, और बाजार तक पहुंच की कमी जैसी समस्याएं कृषि की लाभप्रदता को कम कर रही हैं। तकनीकी पिछड़ेपन और आधुनिक कृषि तकनीकों के अभाव में उत्पादकता भी सीमित है। सिंचाई सुविधाओं की कमी, उन्नत बीजों का अभाव, और वैज्ञानिक खाद का उपयोग न करना भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की प्रमुख बाधाएं हैं। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट है कि केवल कृषि पर निर्भर रहना ग्रामीण समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं है।

गैर-कृषि क्षेत्र में विविध अवसर उपलब्ध हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल रोजगार प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी करती है। मनरेगा के तहत जल संरक्षण, सड़क निर्माण, पेड़ लगाना और अन्य विकास कार्य होते हैं जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम हैं। ये समूह छोटे उद्यमों को बढ़ावा देते हैं, सामूहिक बचत को प्रोत्साहित करते हैं, और माइक्रो-फाइनेंस के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उत्पादन, और अन्य लघु उद्योगों के माध्यम से ये समूह आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर रहे हैं। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पारंपरिक कारीगरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएं, और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बढ़ती मांग है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो रहा है। ग्रामीण पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो स्थानीय संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, और पारंपरिक जीवनशैली का लाभ उठाता है। होमस्टे, एग्रो-टूरिज्म, और इको-टूरिज्म के माध्यम से ग्रामीण समुदाय अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करता है बल्कि स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान देता है।

उद्यमिता महिला और युवा सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन है। महिलाओं के लिए उद्यमिता न केवल आर्थिक स्वतंत्रता लाती है बल्कि सामाजिक स्थिति में भी सुधार करती है। खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महिलाएं सफल उद्यमी बन रही हैं।

सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, और महिला उद्यमिता योजना के माध्यम से उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिल रही है। युवाओं के लिए उद्यमिता शिक्षा और रोजगार के बीच एक सेतु का काम करती है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वे नवाचार कर सकते हैं। ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, और तकनीकी सेवाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण मिल रहा है। निष्कर्ष रूप में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्रों में भी निवेश और विकास आवश्यक है। महिला और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करके, और उन्हें उचित सहायता प्रदान करके, हम एक समृद्ध और स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

रोजगार सृजन की सरकारी योजनाएँ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो 2005 में शुरू की गई थी। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करती है। इसकी ग्राम स्तर पर प्रासंगिकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में योगदान देती है। यह योजना न केवल आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण अवसंरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में जल संरक्षण, सूखा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, और ग्रामीण कनेक्टिविटी शामिल हैं। इन कार्यों से न केवल तत्काल रोजगार मिलता है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। महिलाओं की भागीदारी इस योजना में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो महिला सशक्तिकरण में योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना मजदूरों के पलायन को रोकने में भी सहायक है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना की प्रासंगिकता इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। यह योजना कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, आटोमोबाइल, रिटेल, और हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। ग्रामीण युवाओं के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करती है। कृषि आधारित गतिविधियों, पारंपरिक हस्तशिल्प, और स्थानीय उद्योगों से जुड़े कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना सहायक है। प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रमाणन भी प्रदान किया जाता है, जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता है।

स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जबकि मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं की प्रासंगिकता

इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पारंपरिक व्यवसायों के आधुनिकीकरण और नवीन उद्यमों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुद्रा योजना के तहत तीन श्रेणियां हैं शिशु (50, 000 रुपये तक), किशोर (50, 000 से 5 लाख रुपये तक), और तरुण (5 से 10 लाख रुपये तक)। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, और सेवा प्रदाताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। कृषि आधारित व्यवसाय, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में इन योजनाओं का व्यापक उपयोग हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया योजना ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है। कृषि तकनीक, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान विकसित करने में यह योजना सहायक है। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार से इन योजनाओं की प्रभावशीलता और भी बढ़ गई है।

प्रवासन: स्वरूप, प्रभाव और सामाजिक बदलाव

भारत में प्रवासन एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक घटना है जो देश के विकास और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित करती है। मौसमी प्रवासन मुख्यतः कृषि आधारित होता है, जहाँ किसान और कृषि मजदूर फसल की कटाई, बुवाई और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह प्रवासन चक्रीय प्रकृति का होता है और कृषि कैलेंडर के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा में धान की रोपाई के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से हजारों मजदूर आते हैं। अंतरराज्यीय प्रवासन भारत में सबसे व्यापक रूप है, जहाँ लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। यह मुख्यतः कम विकसित राज्यों से अधिक विकसित राज्यों की ओर होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लोग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में काम करने जाते हैं। निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र और घरेलू काम में इन प्रवासी मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में भारत से मुख्यतः खाड़ी देशों, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है - कुशल और अकुशल श्रमिकों का प्रवासन। कुशल श्रमिकों में इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जबकि अकुशल श्रमिकों में मुख्यतः खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूर, घरेलू कामगार और सेवा क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं।

ग्रामीण परिवारों पर प्रवासन का प्रभाव (आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक)

ग्रामीण परिवारों पर प्रवासन का आर्थिक प्रभाव अत्यंत गहरा है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन से गाँवों में जीवन स्तर में सुधार होता है। यह धन कृषि में निवेश, मकान निर्माण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होता है। कई परिवारों के लिए यह धन मुख्य आय का स्रोत बन गया है, जिससे गरीबी में कमी आई है। कृषि की अनिश्चितता और कम आय के कारण प्रवासन एक आवश्यक विकल्प बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की आय से न केवल उनके परिवार की आर्थिक

स्थिति सुधरती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। सामाजिक प्रभाव के दृष्टिकोण से प्रवासन ने ग्रामीण समाज की संरचना को बदल दिया है। पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों में परिवर्तन आया है और सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। प्रवासी श्रमिकों को नए विचारों, तकनीकों और जीवनशैली का अनुभव मिलता है, जिससे ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। महिलाओं की भूमिका में भी बदलाव आया है, क्योंकि पुरुषों के प्रवासन के कारण वे घर और खेत की जिम्मेदारी संभालने को मजबूर हैं। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। भावनात्मक प्रभाव की दृष्टि से प्रवासन परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण है। पारिवारिक अलगाव, बच्चों की देखभाल में कमी, बुजुर्गों की अकेलापन की समस्या और पति-पत्नी के बीच दूरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, जो अपने पिता या माता से लंबे समय तक अलग रहते हैं। इससे पारिवारिक रिश्तों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं।

प्रवासी श्रमिकों की चुनौतियाँ और कोविड-19 के बाद की स्थिति

प्रवासी श्रमिकों की मुख्य चुनौतियों में काम की अनिश्चितता, कम मजदूरी, खराब आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, भाषा की समस्या और सामाजिक भेदभाव शामिल हैं। उन्हें अक्सर स्थानीय लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। कानूनी सुरक्षा का अभाव और शोषण की समस्या भी गंभीर चुनौतियाँ हैं। कोविड-19 महामारी ने प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को और भी उजागर कर दिया। राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिकों को अचानक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और वे अपने गाँवों को वापस जाने के लिए मजबूर हुए। परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण कई श्रमिकों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस दौरान सरकारी नीतियों की कमियाँ स्पष्ट हो गईं और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई। कोविड-19 के बाद की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार करने और आवास सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि, इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी समय लगेगा। प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है जो उनकी गरिमा और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करे।

समाधान और नीति सुझाव

भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ देश की लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में आजीविका आधारित योजनाओं का समेकन न केवल ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी है।

वर्तमान समय में जब कोविड-19 महामारी के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, तो आजीविका आधारित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और समेकन और भी आवश्यक हो गया है। आजीविका आधारित योजनाओं के समेकन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को स्थायी और टिकाऊ आर्थिक अवसर प्रदान करना है। इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक है। इन योजनाओं का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण समुदायों को अधिक प्रभावी रूप से लाभान्वित किया जा सकता है।

रोजगार सूचकांक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित योजना निर्माण

चित्र 9.2: रोजगार सूचकांक और स्थानीय संसाधन योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सूचकांक का विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो स्थानीय संसाधनों की पहचान और उनके अधिकतम उपयोग पर आधारित है। प्रत्येक गाँव की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता, जल संसाधन, और पारंपरिक कौशल को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों की पहचान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मैदानी क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग, पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी और जड़ी-बूटी उत्पादन, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन और नमक उत्पादन जैसे व्यवसाय विकसित किए जा सकते हैं। रोजगार सूचकांक में श्रम की उपलब्धता, कुशलता का स्तर, बाजार की पहुंच, और तकनीकी सुविधाओं का आकलन शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही, स्थानीय उद्यमिता की संभावनाओं का मूल्यांकन भी आवश्यक है। डिजिटल

प्लेटफॉर्म का उपयोग करके रोजगार सूचकांक को नियमित रूप से अपडेट किया जा सकता है, जिससे नीति निर्माताओं को वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। स्थानीय संसाधनों पर आधारित योजना निर्माण में समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्राम सभाओं, स्वयं सहायता समूहों, और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। इससे योजनाओं की प्रभावशीलता और स्थायित्व दोनों में वृद्धि होती है।

प्रवासियों के पुनर्वास और कौशल उपयोग की नीति

कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों प्रवासी मजदूरों का अपने गाँवों में वापस लौटना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस स्थिति ने प्रवासियों के पुनर्वास और उनके कौशल के उपयोग की नीति की आवश्यकता को उजागर किया। प्रवासी मजदूरों के पास विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल होते हैं जो उन्होंने शहरी क्षेत्रों में काम करते समय सीखे हैं। इन कौशलों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। प्रवासियों के पुनर्वास की नीति में कौशल मैपिंग एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रवासी के कौशल, अनुभव, और रुचियों का डेटाबेस तैयार करना चाहिए। इसके आधार पर उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। निर्माण कार्य में अनुभवी प्रवासी मजदूरों का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना विकास में किया जा सकता है। इसी प्रकार, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, और अन्य तकनीकी कौशल रखने वाले प्रवासियों को स्थानीय उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कौशल उपयोग की नीति में प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समावेश आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रवासियों के कौशल को अपग्रेड किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, पारंपरिक कृषि के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

एकीकृत दृष्टिकोण और भविष्य की संभावनाएं

ग्राम स्तर पर आजीविका आधारित योजनाओं के सफल समेकन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, और समुदायिक संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना शामिल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत बनाया जा सकता है। वित्तीय समावेशन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बैंकिंग सेवाओं, बीमा, और क्रेडिट सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाकर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके रोजगार सूचकांक को और भी परिष्कृत बनाया जा सकता है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर मैचिंग संभव होगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए,

टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल आजीविका विकल्पों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अंततः, ग्राम स्तर पर आजीविका आधारित योजनाओं का समेकन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नवाचार, अनुकूलन, और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से न केवल ग्रामीण गरीबी में कमी आएगी, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

केस स्टडी

झारखंड और बिहार के प्रवासी श्रमिकों की स्थिति: चुनौतियां और अवसर

झारखंड और बिहार के प्रवासी श्रमिकों की स्थिति भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन दोनों राज्यों से हर साल लाखों लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, और दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर पलायन करते हैं। इस पलायन की मुख्य वजह स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी, कृषि पर निर्भरता, और औद्योगिक विकास की धीमी गति है। झारखंड के आदिवासी और दलित समुदायों के लोग मुख्यतः निर्माण कार्य, कृषि मजदूरी, और फैक्ट्री में काम करने के लिए पलायन करते हैं। इसी प्रकार बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, और अन्य जिलों से आने वाले श्रमिक भी इसी तरह के कार्यों में संलग्न होते हैं। इन श्रमिकों की स्थिति अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती, रहने की स्थिति खराब होती है, और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इन प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा उजागर हुई जब लाखों लोग अपने घर वापस लौटने को मजबूर हुए। इस संकट ने सरकार और समाज का ध्यान इन श्रमिकों की बुनियादी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। वर्तमान में सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कौशल विकास, रोजगार गारंटी, और वापस आने वाले श्रमिकों के लिए स्थानीय रोजगार सृजन शामिल है।

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित व्यवसाय: सशक्तिकरण की नई दिशा

महिला स्वयं सहायता समूहों ने झारखंड और बिहार में आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित ये समूह न केवल बचत और ऋण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बल्कि उद्यमिता और व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन समूहों द्वारा संचालित व्यवसायों में कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड के गुमला जिले में महिला समूहों द्वारा संचालित मुर्गी पालन और बकरी पालन के व्यवसाय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बल्कि स्थानीय बाजार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी कर रहे हैं। बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, विशेषकर आम, लीची, और अन्य फलों का प्रसंस्करण, न केवल कृषि अपशिष्ट को कम कर रहा है बल्कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य भी

दिला रहा है। इन समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का विपणन अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जो इन महिलाओं की उद्यमिता क्षमता का प्रमाण है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी महिला समूहों का योगदान उल्लेखनीय है। झारखंड की आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए बांस और लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, और बिहार की महिलाओं द्वारा बनाए गए मधुबनी पेंटिंग और अन्य पारंपरिक शिल्प न केवल उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहे हैं।

सफल ग्राम पंचायत की रोजगार पहल: समुदायिक विकास का आदर्श

झारखंड के खूंटी जिले की एक ग्राम पंचायत ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस ग्राम पंचायत ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए एक समग्र रोजगार रणनीति विकसित की है जो न केवल प्रवासी श्रमिकों को वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि युवाओं को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। इस ग्राम पंचायत की पहल में मुख्यतः कृषि आधारित उद्योगों का विकास, पशुपालन को बढ़ावा, और वन आधारित उत्पादों का मूल्य संवर्धन शामिल है। पंचायत ने स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, जहां मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, और कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस पहल की सफलता का मुख्य कारण समुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता है। ग्राम सभा की नियमित बैठकों में रोजगार की योजनाओं पर चर्चा होती है और स्थानीय लोगों के सुझावों को शामिल किया जाता है। पंचायत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी उपयोग करते हुए न केवल रोजगार के अवसर सृजित किए हैं बल्कि बुनियादी ढांचे का विकास भी किया है। इस ग्राम पंचायत की एक अन्य उल्लेखनीय पहल है किसान उत्पादक संगठन की स्थापना, जो स्थानीय किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक है। इस संगठन के माध्यम से किसान अपनी फसल को सीधे बाजार में बेच सकते हैं और मध्यस्थों की भूमिका को कम कर सकते हैं। इन तीनों पहलुओं का समग्र प्रभाव झारखंड और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी, महिला सशक्तिकरण, और स्थानीय रोजगार सृजन के माध्यम से इन राज्यों में एक नया विकास मॉडल उभर रहा है जो टिकाऊ और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है, जहाँ पारंपरिक कृषि-आधारित आजीविका के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्रों का विस्तार आवश्यक हो गया है। प्रवासन, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी चुनौतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। महिला स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास योजनाओं, और स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार रणनीतियों ने यह सिद्ध किया है कि यदि

समुदायिक भागीदारी और नीतिगत समन्वय को सशक्त बनाया जाए तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था संभव है। भविष्य की दिशा में एकीकृत आजीविका योजनाएँ, प्रवासी श्रमिकों का कौशल उपयोग, और नवाचार आधारित उद्यमिता ग्रामीण भारत को सशक्त, समावेशी और सतत विकास की राह पर अग्रसर कर सकती हैं।

संदर्भ

- अबे, के. (2020). अवसर के परिदृश्य: उप-सहारा अफ्रीका में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ युवाओं के जुड़ाव पर एक नई खिड़की। *विकास अध्ययन जर्नल.* https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1808195

- अट्टा-ओवसु, बी., सेनगुप्ता, ए., और मैकलेवी, टी. (2024). वहाँ और वापस: अस्थायी श्रम प्रवास की गतिशीलता, ग्रामीण भारत से अंतर्दृष्टि। *समाजशास्त्र में सीमाएँ, 9,* 1422602.

- अमारे, एम. (2024). युवा प्रवास और रोजगार विकल्पों में भूमि उत्तराधिकार की भूमिका: ग्रामीण नाइजीरिया से साक्ष्य। *यूरोपीय विकास अनुसंधान जर्नल, 36(1),* 135–160.

- कै, सी., लिम, बी.एफ.वाई., और मंसूर, के. (2024). प्रवासियों की स्थायी आजीविका को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन: दक्षिण-पश्चिम चीन से साक्ष्य। *पर्यावरण, विकास और स्थिरता,* 1–31.

- चौधरी, एस., मजूमदार, एस. के., और चौधरी, एम. (2024). भारत में ग्रामीण बाह्य-प्रवासन और प्रवासी श्रमिकों की रोज़गार स्थिति में सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय अंतरों की जाँच। *जनसांख्यिकी भारत, 53(1),* 12–30.

- जीई, जी., हुआंग, वाई., और चेन, क्यू. (2025). ग्रामीण उद्योग और रोज़गार की समन्वित विकास विशेषताएँ: चोंगकिंग, चीन का एक केस स्टडी। *आईएसपीआरएस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जियो-इंफॉर्मेशन, 14(2),* 48.

- तुहोल्स्के, सी. (2024). जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और प्रवासन को जोड़ने के लिए एक ढाँचा: कृषि मार्ग का अन्वेषण। *जनसंख्या एवं पर्यावरण, 46(1),* 8.

- न्याथी, डी., एनडलोवु, जे., और डीज़विंबवो, एम. (2025). उप-सहारा में गैर-कृषिकरण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: ग्रामीण आजीविका और रोज़गार पर पुनर्विचार, सतत् *विकास कानून और नीति जर्नल, 16(1),* 25–51.

- निवा, टी., ताकाहाशी, एस., और निशिमोटो, एफ. (2025). लाओस के ग्रामीण गाँव से बैंकॉक, थाईलैंड तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवास: गृह गाँव के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना।

In लाओस में लघु-स्तरीय समाजों की जनसंख्या गतिशीलता और आजीविका परिवर्तन (pp. 99–116). सिंगापुर: स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर.

- भुसाल, टी. पी. (2025). ग्रामीण लोगों की आजीविका पर मौसमी श्रम प्रवास का प्रभाव। *जर्नल ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, 6(1),* 107–124.

- फिनलेसन, के. (2025). ग्रामीण कम्बोडियनों के लिए दोहरे रोज़गार स्थल: कौशल, दूरी और प्रवास पर गैर-मौद्रिक प्रतिफल। *जनसंख्या, स्थान और जगह, 31(2),* e70016.

- बेल्लमपल्ली, पी.एन., और यादव, एन. (2023). ग्रामीण भारत से संकटपूर्ण पलायन: आजीविका की वास्तविकताओं और उसे कम करने के उपायों की खोज। *मानवाधिकार और सामाजिक कार्य जर्नल, 8(3),* 262–272.

- बेल्लमपल्ली, पी.एन., और यादव, एन. (2024). ग्रामीण कर्नाटक, भारत में गरीबी से प्रेरित प्रवास की खोज: नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान। *अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक और सामाजिक विकास जर्नल, 6(2),* 166–184.

- वांग, एस., गुओ, सी., और यिन, एल. (2025). डिजिटल साक्षरता, श्रम प्रवास और रोज़गार, और ग्रामीण घरेलू आय असमानताएँ। *अर्थशास्त्र और वित्त की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, 99,* 104040.

- सलाम, एस. (2024). कृषि परिवर्तन को गति देना: बांग्लादेश में ग्रामीण आजीविका विविधीकरण रणनीतियों के प्रभाव का अनावरण। *एशियाई अर्थशास्त्र, व्यवसाय और लेखा जर्नल, 24(8),* 383–399.

- सोलोमन, डी. (2024). भारत, नेपाल और बांग्लादेश में छोटे किसानों के लिए मौसम जोखिम प्रबंधन को आकार देने में ग्रामीण चक्रीय प्रवास की भूमिका। *वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन, 89,* 102937.

- सुनाम, आर. (2025). कृषि में युवाओं की भागीदारी का विश्लेषण: ग्रामीण नेपाल में भूमि, श्रम गतिशीलता और युवाओं की आजीविका। *जर्नल ऑफ एग्रेरियन चेंज, 25(1),* e12611.

- हसन, एम. ए. (2023). वापस लौटे प्रवासियों के लिए एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में ग्रामीण उद्यमिता: संभावनाओं और चुनौतियों की समीक्षा। *लघु व्यवसाय रणनीति जर्नल, 33(1),* 20–35.